

**कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

संज्ञक: दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञापन-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कॉर्नेली काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विद्योपा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मं-02 में विद्योपा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहरें विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित विद्योपा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्योपा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथासू अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके मान के समुक्त अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुकूल में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1808	भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, भगवती मॉडेल पार्क, नसीरी केनल, भदोही, गाजियाबाद।	इंजिनियरिंग इंजी० इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी० मेकैनिक्स इंजी०।	80 80 120	80 80 120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पीसी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2006 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों कॉर्नेली पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षों पाठ्यक्रमों (दो बर्षों कॉर्नेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रशस्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सत्र/अवसर्ग से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनबन्दी प्रमाणी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2006 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।


- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिवर्ध द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनबन्दी के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पीसी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनबन्दी/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्योपा इन कॉर्नेली पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक स्तर से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान नहीं होगा तथा नुकसान बाध के संबंध में भा. प्याधालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्योपा इन कॉर्नेली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिवर्ध कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आकषण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधियां, स्टाफ, सत्र-सूचना, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रीमिंग रेकॉर्ड के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सम्बन्ध, करीवर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता संचालन किये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ० आर०के० सिंह)
सचिव

पृ०सं०- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

उद्दिनांक: 15-09-2020

प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार, भगवती मॉडेल पार्क, नसीरी केनल, गाजियाबाद।


 Director
 Bhagwati Institute of Technology & Science
 NH-8, Masun Canal, Masun, Ghaziabad-201015

कार्यालय,

प्राचिन, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राचिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्यक:- दिनांक: 09/08/2021

आवृत्तिय आध:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दानों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1606-BHAGWATI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE, BHAGWATI KNOWLEDGE PARK, MASURI CANAL, MAKHAURI, GHAZIABAD			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की

- शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तब दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Director
Bhagwati Institute of Technology & Science
NH-9, Masuri Canal, Masuri, Ghaziabad-201015
(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

ए०सं०- प्राचिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809
प्रतिनिधि:-
प्रधानाचार्य/निदेशक, BHAGWATI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE, BHAGWATI KNOWLEDGE PARK, MASURI CANAL, MAKHAURI, GHAZIABAD
दिनांक: 09/08/2021

संश्लेषण

प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, संजय प्रसाद

संख्या- प्राविधिक शिक्षा परिषद/सम्बद्धता/2022/7617

दिनांक: 30/08/2022

संबंधित विषय:-

अंकित आदेशों के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, गैर-विश्वविद्यालयी कक्षाओं के अंतर्गत, गैर-विश्वविद्यालयी द्वारा वैश्विक स्तर पर 2022-23 हेतु विभिन्न स्तरों पर प्राविधिक शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित गैर-विश्वविद्यालयी को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता/पूछे-छोड़े/अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने को निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं पता: 1698 BHAGWATI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, NH-9, DELHI-MEERUT EXPRESSWAY, MASURI CANAL, MASURI, GHAZIABAD

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/संख्या/वर्ष	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित/विशेष क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित/प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60	60
2	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/संख्या/वर्ष द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों/1992, विनियमों/2000, सेमेस्टर विनियमों/2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों/इंजीन पाठ्यक्रमों हेतु रु 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों परमर्त की पाठ्यक्रम हेतु रु- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों परमर्त की

पुनः- प्राविधिक शिक्षा परिषद/सम्बद्धता/2022/7618-8465

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठान:-

प्रधान कार्यकारी अधिकारी, BHAGWATI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, NH-9, DELHI-MEERUT EXPRESSWAY, MASURI CANAL, MASURI, GHAZIABAD

Khan
(एचएमओ कार्यालय)

अतिरिक्त

Khan
(एचएमओ कार्यालय)

अतिरिक्त

Khan
Director
Bhagwati Institute of Technology & Science
NH-9, Masuri Canal, Masuri, Ghaziabad-201015

- ✓ पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से ज्ञात किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर छासून द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों/प्रदेशी होने, और उपरोक्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीघ्र निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु शीघ्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शीघ्र की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30/08, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/08 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08 द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एडमिशन/संख्या/वर्ष से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था को होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग/उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कानून लागू किया जाता है तथा कानून सत्र के संबंध में गव. कार्यवाही/दस्तावेज/प्रमाणों प्रकर की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान कर्ष प्रवेश हेतु आवेदित कांउंसिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एडमिशन/संख्या/वर्ष से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपस्थित करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक/पूछे-छोड़े/भूमि, स्टाफ, सत्र-सूची, उपकरण, प्राप्य शिक्षा आदि कोला शुल्क, छात्र/छात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक/रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, कर्नाकर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था को सम्बद्धता सम्बन्ध किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के जीवन कालीन निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सत्र-सूची एडमिशन/संख्या/वर्ष से अनुमोदन/परिषद के सम्मन्धन/उत्तर उपलब्ध नहीं बना जाता है तो संस्था की सम्बद्धता सम्बन्ध कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने/अव्या शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दिशा में निचयानुदेशों/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संघीयता

अखिल भारतीय विद्या परिषद

उत्तर प्रदेश संघदास

संख्या- प्राविद्यपरिषद संघदास/2023/12090001

संघदास दिनांक 12-09-2023

संघीयता

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं परमैती काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघीयता दिवसीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० संघदास से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभवन हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/परमैती काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुकूल में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय सिधागया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० संघदास द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश शर्तों हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं नाम : 1695-BHAGWATI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, NH-9, DELHI-MEERUT EXPRESSWAY, MASURI CANAL, MASURI, GHAZIABAD

1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रमण 3 उत्तर प्रदेश सरकार के पर संख्या 311/16-3099/9/2022 दिनांक-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व से संघीयता समस्त संस्थाओं की ओर से विद्युत आकाशिय मंचालय में वार्षिक रिट कायम संख्या 6027/2023 में आकाशिय मंचालय के अधीन निर्णय के अधीन संबद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/परमैती काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/परमैती काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली के समस्त के अनुमोदन संस्थान में समस्त संस्थान (भूमि, भवन, बैंक उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा वार्षिक शिक्षा परिषद विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत संस्थाओं का अनुमोदन करने में तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था द्वारा पर छात्र द्वारा निवेदन किये जाने वाले कारणादेश समायोजित होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाकर आवश्यक होगा। विश्व निर्वाचन समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु कक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कक्षा की नवीकरण दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संकुल प्रवेश परीक्षा द्वारा आवेदनित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वास्तुनादेश के अनुसार निर्माण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विधिविधायक/विधिविधायक/परमैती काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली, प्राविधिक शिक्षा, 30 प्र०, संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, 30 प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० द्वारा बनाये गये विनियम, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यवाही है।
- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/परमैती काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली से अनुमोदन विस्तार किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्त/विद्युत संस्था का प्रवेश और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विनियमवली एवं प्राविधिक शिक्षा विनियम उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई भी दावा किया जाता है तो संस्था को ही लेना, मंचालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधित आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघदास द्वारा प्रवेश एवं के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग करना होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/परमैती काउन्सिल ऑफ इंजिन्य, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीकरण आदेशन सिधायी का अनुमोदन करना कार्यवाही होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के सुपुत्रक पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की वेबसाइट, पृथक भूमि, स्टॉक, सहायक-सहायक, उपकरण, कक्षा कक्षा आये वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपयुक्त वास्तुनाथ उपलब्ध करने के साथ निर्मित करने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रकाशित/अप्रकाशित पाठ्यक्रम को बनाने वाले हेतु निर्माण समिति के समस्त उपलब्ध कार्य गये अधीन, भूमि-भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संकाय में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इनकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त/का प्रवेश किये अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समिति) और उपरोक्त/संस्थाओं का सम्बद्ध किये जाकर विनियमवली, 2000 के प्राविधिक/सुपुत्रक परिषद की नंग पर अपने कार्यवाही, आदेशों और कार्यवाही को परिषद को परीक्षा के संकाय के लिए परिषद के अधीन करने में रखेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक निर्माण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सहायक-सहायक (उपकरण/उपकरण/उपकरण/उपकरण/उपकरण/उपकरण) परिषद के आकाशिय मंचालय नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ संकायता शर्तों का अनुमोदन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की रिपोर्ट में निराकरण अनुमोदन/परमैती कार्यवाही की जाएगी।

(अजीत कुमार शर्मा)

अधीन

पुंनं- प्राविद्यपरिषद संघदास/2023/12090002-12891230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, BHAGWATI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, NH-9, DELHI-MEERUT EXPRESSWAY, MASURI CANAL, MASURI, GHAZIABAD

(अजीत कुमार शर्मा)

अधीन

Director
Bhagwati Institute of Technology & Science
NH-9, Masuri Canal, Masuri, Ghaziabad-201015